न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 275/2018
GCMS NO. : 2018/00327

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति– जाट, निवासी– ग्राम बांजाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, हाल निवासी– जोधपुर तहसील, जिला– जोधपुर(राज0)		1. लाबूराम पुत्र सुजाराम 2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल 3. पूसाराम पुत्र भंवरलाल जातियान– जाट, निवासी– ग्राम बांजाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0) 4. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.

तारीख रजू:.01/11/2018

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री इमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 24/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बांजाकूड़ी पटवार हल्का बांजाकूड़ी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 667 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 679 रकबा 06–01 बीघा, खसरा नम्बर 681 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 741 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 742 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, कुल खसरा 05 कुल रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई है। नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक की वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण का माफिक अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर वादी काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, उक्त आराजी में वादी का नाम बागाराम पुत्र भंवरलाल चला आ रहा है, जबकि वादी का सही नाम रामलाल है, इसी प्रकार सरकारी दस्तावेजात आधारकार्ड एवं परिचय पत्र में भी वादी का नाम ही रामलाल पुत्र भंवरलाल ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी रामलाल के नाम का इन्द्राज बागाराम कर दिया है जो एक रांग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी का सही नाम रामलाल पुत्र भंवरलाल है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम बागाराम इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अलग नाम होने से बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (पाली)

स[illegible], कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम बागाराम के स्थान पर रामलाल दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम बागाराम इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 20.09.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 04 को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्य 04 ने इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण 04 तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एव प्रोपर पक्षकार होने से उनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है, अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.09.2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 04 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण संख्या 04 द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम बांजाकूडी–जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर की आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी रामलाल का नामा बागाराम कर दिया है, जो एक रोन्ग एन्ट्री है जिसे दुरूस्त किया जावें व राजीनामा तस्दीक कर माफिक वादपत्र की दादरसी दावा डिक्री किया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 04 तहसीलदार जैतारण ने रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./21/486 दिनांक 12.02.2021 प्रस्तुत कि जो सा0मि0 की गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम बांजाकूडी तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 667 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर [illegible] 06–01 बीघा, खसरा नम्बर 681 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 742 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा [illegible] खसरा 05 कुल रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा में वादी के पिता के फौत होनें पर [illegible]दगी नामान्तरण के समय वादी का नाम सहवन से बागाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामलाल पुत्र भंवरलाल है। अतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि बागाराम के स्थान पर सही प्रविष्टि रामलाल इन्द्राज कि जावें। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 02 बाबूलाल व 03 पुसाराम वादी रामलाल के सगे भाई है। राजीनामा में प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार गया है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज बागाराम व वादी रामलाल एक ही व्यक्ति है तथा सही एवं वास्तविक नाम रामलाल पुत्र भंवरलाल है। भंवरलाल के बागाराम नाम का कोई अन्य पुत्र नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावें। वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम रामलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज है। जमाबन्दी 2073-2076 ग्राम बांजाकुड़ी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में लाबूराम पुत्र सुजाराम, बाबूलाल, बागाराम, पुसाराम पि0 भंवरलाल कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादी के शपथ पत्र एवं उभयपक्ष द्वारा निष्पादित राजीनामा से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज बागाराम पुत्र भंवरलाल तथा वादी रामलाल पुत्र भंवरलाल वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुरूप रामलाल पुत्र भंवरलाल है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि बागाराम को विलोपित करवाते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि रामलाल दर्ज करवानें एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बांजाकुड़ी तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 667 रकबा 06-10 बीघा, खसरा नम्बर 679 रकबा 06-01 बीघा, खसरा नम्बर 681 रकबा 06-15 बीघा, खसरा नम्बर 741 रकबा 09-04 बीघा, खसरा नम्बर 742 रकबा 01-01 बीघा, कुल खसरा 05 कुल रकबा 29-11 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''***बागाराम***'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***''रामलाल''*** दर्ज करते हुये वादी रामलाल पुत्र भंवरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति- जाट, निवासी- ग्राम बांजाकुड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, हाल निवासी- जोधपुर तहसील, जिला- जोधपुर(राज०)		1. लाबूराम पुत्र सुजाराम 2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल 3. पूसाराम पुत्र भंवरलाल जातियान- जाट, निवासी- ग्राम बांजाकुड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज०) 4. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु०न० :रा०वा० स०: 275/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री इमरान खान अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बांजाकुड़ी तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 667 रकबा 06-10 बीघा, खसरा नम्बर 679 रकबा 06-01 बीघा, खसरा नम्बर 681 रकबा 06-15 बीघा, खसरा नम्बर 741 रकबा 09-04 बीघा, खसरा नम्बर 742 रकबा 01-01 बीघा, कुल खसरा 05 कुल रकबा 29-11 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "***बागाराम***" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि "***रामलाल***" दर्ज करते हुये वादी रामलाल पुत्र भंवरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमे [illegible] व शहर ....-..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....-.....की अदा [illegible]

बशिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 2[illegible]/2021 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:44 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	09	00	मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:44 IST
Reason: SelfAttested